न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या :– 176/2022 **GCMS 2022/356**

वादी

1. किशन सामरिया पुत्र शिवराम जाति खटीक निवासी कुचामनसिटी, तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. अनु पुत्री सोहनी देवी जाति नायक निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
2. कमलेश पुत्र देवीलाल जाति खटीक निवासी कड़वा का बांसड़ा कुचामनसिटी जिला नागौर
3. तारीदेवी पत्नी जेठाराम जाति गवारिया निवासी मंगलाना तहसील परबतसर जिला नागौर
4. नीलू पुत्री सोहनी देवी जाति नायक निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
5. पूजा पुत्री सोहनी देवी जाति नायक निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) कुचामनसिटी

दावा :– **दावा अधिकारो की घोषणा, बंटवारा होल्डिंग अन्तर्गत धारा 53,88 राज.काश्त. अधि.1955**

उपस्थित :– **श्री सुधीर कौशिक अधिवक्ता वादी की ओर से।**
श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1,3,4,5 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 12/12/2022

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि वकुलाय उपय पक्षकारान ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री तहसीलदार कुचामन सिटी से प्राप्त हो चुकी है, माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। उभय पक्षकारान की बहस पर एवं वाद पत्र के संलग्न दिनांक 18.11.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। तहसीलदार कुचामनसिटी ने बंटवारा स्कीम पत्रांक भू0अ0/2022/2829 दिंनाक 09.12.2022 के द्वारा भिजवाई गई, दिनॉक 06.12.2022 को तैयार मौका फर्द बंटवारा स्कीम शामिल मिसल उपलब्ध है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम में ग्राम कुचामनसिटी पटवार मण्डल कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 3604/3547 रकबा 1.0490 हैक्टर में नजरी नक्शा में अंकित बिन्दू सं. **A** रकबा 0.4704 हैक्टर प्रतिवादी सं. 1, 2, 4, 5 के हिस्से में जमाबंदी अनुसार है, बिन्दू सं. **B** व **C** रकबा 0.11 हैक्टर व 0.18 हैक्टर वादी के हिस्से में, बिन्दू सं. **D** रकबा 0.1386 हैक्टर प्रतिवादी सं. 3 के हिस्से में तथा बिन्दू सं. **E** रकबा 0.15 हैक्टर रास्ते के रूप में वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से में शामलाती रहेगी। उपस्थित पक्षकारों ने उपरोक्त नजरी नक्शानुसार काबिज होना बताया तथा उपरोक्त अनुसार जोत विभाजन करवाना चाहते है। मौके पर बहमराह वादी किशनलाल व प्रतिवादी तारादेवी व अन्य गौजिज व्यक्तियों के साथ मौके पर पहुंचे तथा खसरा नम्बर कुचामनसिटी [illegible]/3547 का नजरी नक्शा तैयार किया गया, मौके पर उपस्थित वादी एवं प्रतिवादी तारा[illegible] व [illegible]जिज व्यक्तियो, के कब्जे की भूमि के संबंध में जानकारी ली गई तो उपस्थित [illegible] नजरी नक्शे में दर्शाये गये बिन्दू नजरी नक्शें में दर्शायें नये मार्क अनुसार [illegible] काबिज है। उभय पक्ष[illegible] अधिवक्ताओ की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथ[illegible]क डिक्री व तहसीलदा[illegible] प्राप्त बंटवारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:27:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

स्कीम का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि खातेदारान/पक्षकारान का वाद काबिल अन्तिम डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

आदेश

वाद अन्तिम रूप से डिक्री, किया जाकर ग्राम कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 3604/3547 रकबा 1.0490 हैक्टर में वादी किशन सामरिया को 0.29 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 1, 2, 4, 5 को 0.4704 हैक्टर, प्रतिवादी 3 तारादेवी को 0.1386 हैक्टर के तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त फर्द मौका जांच रिपोर्ट अर्थात बंटवारा स्कीम (बंटवारा स्कीम दिनॉक 06.12.2022 अनुसार तथा नजरी नक्शा अनुसार) खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है, शेष रकबा 0.15 हैक्टर सरकारी कटाणी रास्ते के रूप में दर्ज किया जावें। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 12/12/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:27:49 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला–नागौर (राज.)

बइजलास : बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :– 176/2022 **GCMS 2022/356**

वादी

1. किशन सामरिया पुत्र शिवराम जाति खटीक निवासी कुचामनसिटी, तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण:–

1. अनु पुत्री सोहनी देवी जाति नायक निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
2. कमलेश पुत्र देवीलाल जाति खटीक निवासी कड़वा का बांसड़ा कुचामनसिटी जिला नागौर
3. तारीदेवी पत्नी जेठाराम जाति गवारिया निवासी मंगलाना तहसील परबतसर जिला नागौर
4. नीलू पुत्री सोहनी देवी जाति नायक निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
5. पूजा पुत्री सोहनी देवी जाति नायक निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) कुचामनसिटी

दावा :– **दावा अधिकारो की घोषणा, बंटवारा होल्डिंग अन्तर्गत धारा 53,88 राज.काश्त. अधि.1955**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री सुधीर कौशिक अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री अशोकपुरी अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 3604/3547 रकबा 1.0490 हैक्टर में वादी किशन सामरिया को 0.29 हैक्टर, प्रतिवादी सं. 1, 2, 4, 5 को 0.4704 हैक्टर, प्रतिवादी 3 तारादेवी को 0.1386 हैक्टर के तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त फर्द मौका जांच रिपोर्ट अर्थात बंटवारा स्कीम (बंटवारा स्कीम दिनॉक 06.12. 2022 अनुसार तथा नजरी नक्शा अनुसार) खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है, शेष रकबा 0.15 हैक्टर सरकारी कटाणी रास्ते के रूप में दर्ज किया जावें। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।**

निज .... मुबलिग .... बाबत................... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 12.......माह 12......... सन् 2012 को जारी की गई।

(मुहर) उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:27:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (नागौर)

क्रमांक/कोर्ट/2022/325 दिनॉकः– 12.12.2022

प्रेषित :– तहसीलदार
कुचामनसिटी

विषय :– राजस्व प्रकरण वाद सं. 176/2022 **GCMS 2022/356** किशन सामरिया बनाम अनु नायक वगैरह में पारित डिक्री आदेश की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण वाद सं. 176/2022 **GCMS 2022/356** किशन सामरिया बनाम अनु नायक वगैरह में पारित डिक्री आदेश की पालना हेतु प्रति भिजवाई जा रही है। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम करते हुए पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:27:49 IST
Reason: SelfAttested

आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार

भीम

कार्यालय तहसीलदार (भू–अ.) कुचामन सिटी जिला नागौर (राज0)

क्रमांक / भू–अ. / 2022 / 2829 दिनांक :– 09-12-2022

प्रेषित –

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
कुचामनसिटी

विषय – राजस्व प्रकरण वाद सं. 176 / 2022 किशन सामरिया बनाम अनु नायक वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री की पालना बाबत् ।

प्रसंग – श्रीमान के पत्रांक कोर्ट / 2022 / 309 दिनांक 18.11.2022 के संदंर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदंर्भ में निवेदन है कि राजस्व प्रकरण वाद सं. 176 / 2022 किशन सामरिया बनाम अनु नायक वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवारा स्कीम भू.अ.नि. कुचामनसिटी व पटवारी हल्का कुचामनसिटी की उपस्थिति में तैयार करवाई गई है ।

अतः मूल ही बंटवारा स्कीम श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

तहसीलदार(भू.अ.)कुचामनसिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:27:49 IST
Reason: SelfAttested

मौका फर्द बंटवारा ज़मीन

आज दिनांक 06/12/2022 को श्रीमान तहसीलदार साहब कुचामन-सिटी के आदेश क्रमांक/क्रू.अ./61 दिनांक 22.11.2022 की पालना में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी के राजस्व प्रकरण वाद सं. 176/2022 GCMS 2022/356 किशन मावरिया बनाम अन्नु नायक वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री आदेश निर्णय दिनांक 18.11.22 की पालना में आदेशानुसार कस्बा कु. सिटी के ख.नं. 3604/3547 कुल रकबा 1.0490 के मौके पर बंटवारा फर्द तैयार करने बाबत मौके पर पहुंचा। पक्षकारान मौके पर उपस्थित मिले। राजस्व रिकॉर्ड व मौका स्थिति का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादी व प्रतिवादीगण खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ख.नं. 3604/3547 पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। उपस्थित पक्षकारान व पड़ोसियों ने निम्न नजरी नक्शा अनुसार खातेदारों का कब्जा होना बताया गया।

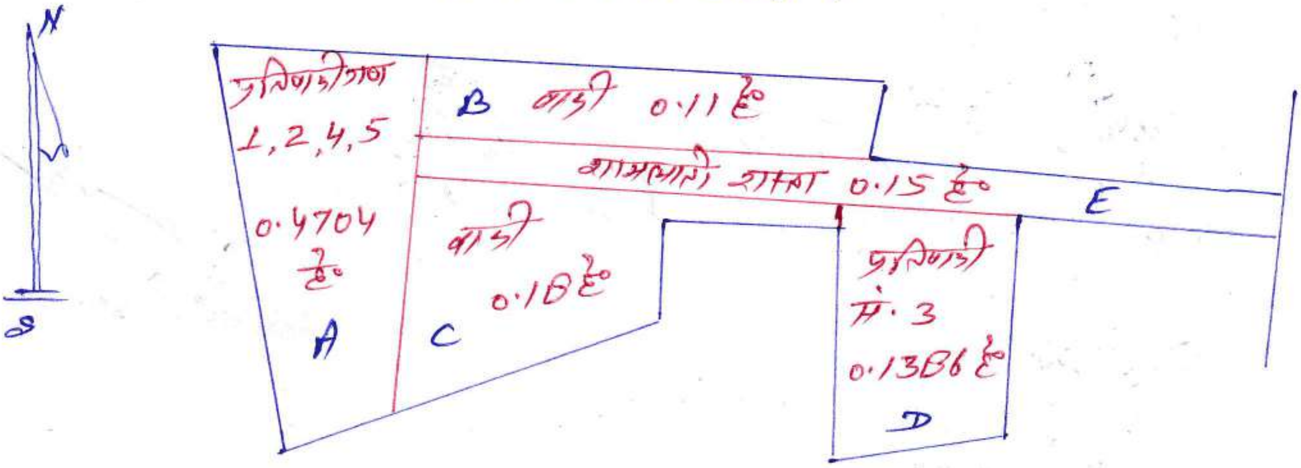

उपरोक्तानुसार चिन्ह सं. [illegible] प्रतिवादी सं. 1,2,4,5 के हिस्से में जमाबंदी अनुसार [illegible] C रकबा 0.11 है॰ व 0.18 है॰ वादी के हिस्से में चिन्ह सं. D रकबा 0.1386 है॰ प्रतिवादियां 3 के हिस्से में तथा चिन्ह सं. E रकबा 0.15 है॰ रास्ते के रूप में वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से में शामलाती रहेगी। उपस्थित पक्ष-कारों ने उपरोक्त नजरी नक्शानुसार काबिज होना बताया तथा उप-

— लगातार — P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:27:49 IST
Reason: SelfAttested

- शेयानुसार ही जोत विभाजन करवाना चाहते है। माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी के आदेशानुसार कब्जा पत्रकारान बंटवारा स्कीम तैयार कर उपस्थित को पढ़कर सुनाई गई उपस्थित ने पढ़कर, सुनकर, समझकर हस्ताक्षर किये।

1. किशन मामड़िया / श्री त्रिकमराम जाति 9950024256 किशनाराम
2. ओमकाराम / " मोतीराम गुर्जर 9587590053 आकाराम
3. देवाराम / " मुखाराम " 7232030723 देवाराम
4. राधेश्याम / " भेराराम मामड़िया 9950998957 राधेश्याम
5. नारायणी w/o " —"— —"— नारायणी
6. कैलाशचन्द / " हनुमानप्रसाद मामड़िया 9660158028 कैलाशचन्द

[signature]
06.12.2022
प० कुचामन सिटी

[signature]
6.12.2022
भू.अ.नि. कुचामन सिटी

[signature]
तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:27:49 IST
Reason: SelfAttested

मौका रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव)

मैं ....(नाम) तहसीलदार..............., न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी के आदेश क्रमांक /कोर्ट/2022/309 दिनांक 18.11.22 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 6.12.22 समय ....बजे आराजी खसरा नम्बर- 3604/3547 वाके ग्राम कु.सिटी पटवार हल्का कुचामनसिटी पर श्री कुराराम नायब तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी में विचाराधीन प्रकरण संख्या- 176/2022 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक .... दिनांक .... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी
1.	किशनमालिया S/o श्री शिवराम			खरोल	वादी
2	नाराजी w/o " जेठाराम			गमारिया	प्रतिवादी सं. 3

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :-

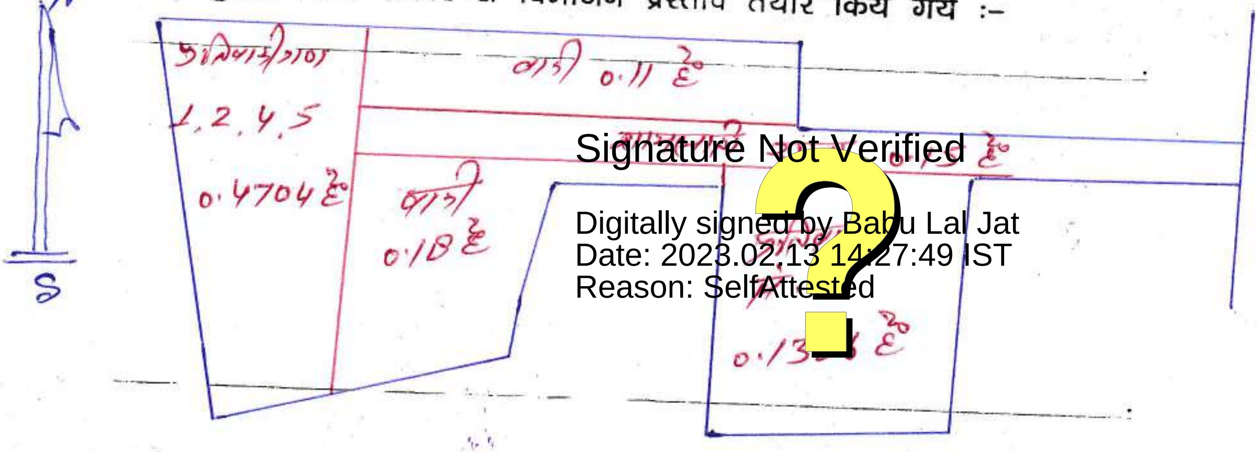

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:27:49 IST
Reason: SelfAttested

TLR कु.सिटी

— (परिशिष्ट - 2)

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/. प्रतिवादी.
1.	किशन प्रजापति	स्व० श्री विरधाराम	खटीक		
2	नारायणी	w/o "	प्रेमाराम	गवारिया		
3.					
4.					

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/. प्रतिवादी.
—	—	—	—	—	

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ . मोबाईल नं..
1.	कुम्भाराम	मांगीराम		कुम्हार	9587590053
2	देवाराम	कुम्भाराम		"	7232030723
3.	राधेश्याम	मेहाराम		गवारिया	9950998957
4.	कैलाशचन्द	हनुमानप्रसाद		गवारिया	[illegible]580208

इस प्रकार आज दिनांक 06/12/2022 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

06-12-2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:27:49 IST
Reason: SelfAttested

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
पटवारी	भू. अ. निरीक्षक	ना. तह.	तहसीलदार
पं. मं. कुचामन - सिटी	वृत कुचामन सिटी	....	....

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी